कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक– 840 /204/आउशि/बजट/2018 भोपाल, दिनांक 27-4-2018

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
(शासन द्वारा विगत 04 वर्षो (सत्र 2014–15 से) प्रारंभ किये गये नवीन संकाय/विषय वाले शासकीय महाविद्यालय)

विषय– योजना कमांक "7135–नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान" योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट आबंटन संबंधी।

उपरोक्त विषय में ज्ञात हो कि योजना कमांक "7135–नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान" योजना अन्तर्गत विगत वर्षो में शासन द्वारा नवीन प्रारंभ किये गये संकाय/विषय हेतु शासकीय महाविद्यालयों को समय–समय पर उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर आबंटन जारी किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भी उक्त योजना में बजट प्रावधान है। अतः शासन द्वारा पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में विगत 04 वर्षो (सत्र 2014–15 से वर्तमान सत्र तक) नवीन संकाय/विषय प्रारंभ किया गया है तो नवीन प्रारंभ किये गये संकाय/विषय के संचालन हेतु आवश्यक सामग्री, कार्यालय व्यय इत्यादि की आवश्यकता हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

प्रारूप

महावि. का नाम .... कुल छात्र संख्या ....सामान्य...............एस.टी.................एस.सी.........

क.	सामग्री का नाम	नवीन संकाय हेतु महावि. में वर्तमान में उपलब्ध संख्या	नवीन संकाय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (संख्या)	दर	कुल राशि	औचित्य	नवीन संकाय का शासन आदेश क. एवं दिनांक

– उपरोक्त सामग्री/प्रस्ताव के संबंध में आवश्यता का औचित्य तथा कय समिति की अनुशंसा एवं जहां से सामग्री कय की जाना है उसकी दर के साथ प्रस्ताव भेजें।
– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राचार्य के हस्ताक्षरयुक्त पत्र बजट शाखा के ई–मेल budgethedu@mp.gov.in मेल करें एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें।
– शासन द्वारा नवीन संकाय/विषय प्रारंभ किये जाने संबंधी शासन के आदेश कमांक एवं दिनांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
– योजना कमांक 5765–प्रयोगशाला उन्नयन योजना अन्तर्गत प्रस्ताव भेजा गया हो तो कृपया विषयांकित योजना अन्तर्गत प्रस्ताव नहीं भेजें।
– प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट होना चाहिए। अपूर्ण एवं अस्पष्ट तथा समयावधि में प्राप्त नहीं होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश